न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–श्री चावण्डदान चारण (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 394 सन् 2015
पंजीयन दिनांक 15.12.2015

1. रघुनाथ पिता गोपी जाति जाट निवासी पिपलिया कंला तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
2. कालु पिता गोपी जाति जाट निवासी पिपलिया कंला तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
3. गुलाबी पिता गोपी जाति जाट निवासी पिपलिया कंला तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
4. दिनेश पिता मोहन जाति जाट अवयस्क जरिये संरक्षक माता संतोषी बेवा मोहन जाति जाट निवासी पिपलिया कंला तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
5. रतन पिता मोहन जाति जाट अवयस्क जरिये संरक्षक माता संतोषी बेवा मोहन जाति जाट निवासी पिपलिया कंला तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
6. श्रीमती संतोषी बेवा मोहन जाति जाट निवासी पिपलिया कंला तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांटगण

विरूद्व

1. रामलाल पिता दलीचन्द जाति जाट निवासी पिपलिया कंला तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
2. भेरूलाल पिता दलीचन्द जाति जाट निवासी पिपलिया कंला तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
3. सोहनी पुत्री दलीचन्द पत्नि नन्दा जाति जाट निवासी पिपलिया कंला हाल मुकाम बल्दरखां तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
4. हरजु पुत्री दलीचन्द पत्नि कालु जाति जाट निवासी पिपलिया कंला हाल मुकाम बल्दरखां तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
5. सोहनी पुत्री दलीचन्द जाति जाट निवासी पिपलिया कंला हाल मुकाम चौगावडी तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
6. जीतु पिता हरलाल जाति जाट निवासी पिपलिया कंला तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
7. डालु पिता हरलाल जाति जाट निवासी पिपलिया कंला तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
8. नन्दा पिता हरलाल जाति जाट निवासी पिपलिया कंला तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
9. प्रबन्धक बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा साडास तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
10. प्रबन्धक भारतीय स्टैट बैक शाखा गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
11. प्रबन्धक ऑरियन्टल बैक ऑफ कामर्स शाखा चित्तौड़गढ़
12. सरकार जरिये तहसीलदार गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगरार
प्रकरण संख्या 57/2015 निर्णय एंव डिक्री दिनांक 02.12.2015

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

उपस्थित– 1. दिनेश चन्द दायमा –अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. महेन्द्रनाथ योगी –अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1, 2 व 5
3. छोगालाल जाट–रेस्पोडेन्ट सं. 6,7,8
4. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक–रेस्पो.सं. 12

निर्णय **दिनांक 07.04.2022**

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्टगण वादीगण ने रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,53,188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा पीपलिया कंला तहसील गंगरार मे स्थित कृषि आराजीयात पैतृक पुश्तैनी है जिसमे अपीलान्टगण का हक व हिस्सा निहित होने से घोषणात्मक डिक्री इन्दाज दुरस्ती बंटवाडे का अनुतोष मांगा गया। दौराने वाद रेस्पोडेन्ट सं. 6,7,8 प्रतिवादीगण ने जवाबदावा प्रस्तुत न कर आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत प्रस्तुत कर वादपत्र को निरस्त किये जाने का निवेदन किया। जिसका अपीलान्टगण वादीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्ट सं. 6,7,8 ने वादपत्र निरस्त कराये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसको अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने स्वीकार किया जाकर अपीलान्टगण वादीगण का वादपत्र इन तथ्यो के आधार पर स्वीकार किया कि अपीलान्टगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र पंजीकृत विक्रय पत्र जो कि रेस्पोडेन्ट सं. 6,7,8 के पक्ष मे पंजीकृत हुए है। उनको सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त कराये बगैर घोषणा का वादपत्र इस न्यायालय मे चलने योग्य नही है।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.12.2015 से असंतुष्ट होकर अपीलान्टगण वादीगण की ओर से इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जो इस न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्टगण ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया गया कि रेस्पोडेन्ट सं. 6,7,8 प्रतिवादीगण ने इन तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र मात्र आराजी नम्बर 517 के सम्बन्ध मे था जबकि अपीलान्ट वादीगण ने अन्य प्रतिवादीगणो को भी पक्षकार मुकदमा कायम करते हुए खाता सं. 26 मे दर्ज आराजीयात व खाता सं. 109 मे दर्ज आराजीयात जिसमे कुल किता 38 रकबा 16.65 हैक्टेयर भूमि वादपत्र मे सम्मिलित थी व अन्य रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध भी अपीलान्टगण वादीगण ने दाद चाही थी। फिर भी अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्टगण के आवेदन को स्वीकार करते हुए सम्पूर्ण वादपत्र को बिना रेस्पोडेन्टगण का जवाबदावा लिये निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। जिससे अपीलान्टगण वादीगण की अपील स्वीकार योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 6,7,8 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण ने खातेदारान से 1/3 हक व हिस्सा आराजी नम्बर 517 क्रय कर कब्जा

प्राप्त किया है। ऐसी स्थिति मे रेस्पोडेन्ट सं. 6,7,8 प्रतिवादीगण ने पंजीकृत बहनामो से आराजीयात क्रय की है। पंजीकृत बहनामो को निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय का नही होकर सिविल न्यायालय के क्षैत्राधिकार का था जिससे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अपीलान्टगण वादीगण का वादपत्र निरस्त किये जाने मे कोई कानूनी त्रुटि नही की है। अपीलान्टगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1,2,5 व 12 ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को उचित होना बताते हुए अपीलान्टगण वादीगण की अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओ की विधिपूर्ण बहस पर मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि पत्रावली वास्ते तामील एवं जवाबदावा हेतु नियत थी। जिसमे बिना प्रतिवादीगण के तामील हुए अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्टगण सं. 6,7,8 की ओर से आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ जिसका जवाब अपीलान्टगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया। व उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अपीलान्टगण वादीगण की ओर से रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध प्रस्तुत सम्पूर्ण वाद को चलने योग्य नही होना नही मानते हुए निर्णय व आदेश पारित किया गया है। जबकि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 6,7,8 के अलावा अन्य पक्षकार प्रतिवादीगण थे व आराजी नम्बर 517 के अलावा उक्त वादपत्र मे अन्य आराजीयात भी सम्मिलित थी। ऐसी स्थिति मे रेस्पोडेन्ट सं. 6,7,8 के आवेदन को स्वीकार कर सम्पूर्ण वादपत्र को निरस्त किया जाना न्यायोचित नही था। जिससे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.12.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्टगण वादीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगरार प्रकरण संख्या 57/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 02.12.2015 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर दावा जवाबदावा के अनुसार तनकियात कायम की जाकर आदेश 20 नियम 5 जा0दी0 की पालना सुनिश्चित कर तनकीवार अजरसे नव निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 07.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय व आदेश की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लोटायी जावे।

(चावण्डदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ